

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी हमीरगढ
पीठासीन अधिकारी श्री अजीत सिंह राठौड (आर.ए.एस)

प्रकरण संख्या 136/2022

उनवान

1. श्रीमती मन्जू देवी पत्नि श्री मदन लाल नि० सोनियाणा तह गगरार जिला वित्तोडगढ(राज)

---प्रार्थी

बनाम

1. लेहरू पुत्र श्री भेरू जाट नि० आमलीगढ तह हमीरगढ जिला भीलवाडा(राज)
2. खेमा पुत्र श्री नानू गाडरी नि० आमलीगढ तह हमीरगढ जिला भीलवाडा(राज)
3. अम्बा लाल पुत्र श्री भेरू जाट नि० आमलीगढ तह हमीरगढ जिला भीलवाडा(राज)
4. नन्दा पुत्र श्री भोना गाडरी नि० आमलीगढ तह हमीरगढ जिला भीलवाडा(राज)
5. बालू पुत्र श्री भेरू जाट नि० आमलीगढ तह हमीरगढ जिला भीलवाडा(राज)
6. राजस्थान राज्य जरिये तहसीलदार हमीरगढ जिला भीलवाडा(राज)

---अप्रार्थी

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 111-128 राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम 1956
निर्णय दिनांक 28.03.2023

प्रार्थी की ओर से एक प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 111-128 राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम 1956 के तहत इस कार्यालय में दिनांक 07.11.2022 को प्रस्तुत कर निवेदन किया है कि ग्राम आमलीगढ प.ह. आमलीगढ भू०अभि०नि० क्षेत्र मंगरोप तह० हमीरगढ जिला भीलवाडा में उसके खाते की खाता संख्या 294 की कृषि भूमि की आ०न० 706 रकबा 0.2655 है०, आ०न० 707 रकबा 0.2529 है०, आ०न० 708 रकबा 0.2529 है०, आ०न० 709 रकबा 0.2655 है०, आ०न० 710 रकबा 0.0885 है० कुल किता 05 कुल रकबा 1.1253 है० भूमि स्थित है। वादग्रस्त भूमि के विपक्षीगण पडोसी हैं प्रार्थी एवं विपक्षीगण के मध्य प्रश्नगत आराजी के सीमा चिन्ह नही होने से आये दिन सीमा सबधी विवाद उत्पन्न होता रहा है। इसलिए प्रार्थी अपने खाते की खातेदारी कृषि भूमि की पत्थरगढी कराना चाहता है। आवेदन स्वीकार किया जाकर पत्थरगढी के आदेश प्रदान कराया जावे।

प्रस्तुत प्रार्थना पत्र इस न्यायालय में दिनांक 11.11.2022 को पंजीबद्ध किया गया। प्रार्थी के अधिवक्ता उपस्थित। विपक्षी संख्या 01 से 05 बावजूद विधिवत प्रक्रियानुसार सुनवाई का अवसर देने के उपरान्त उपस्थित नही है। अतः न्यायहित में एक तरफा कार्यवाही अमल में लाई जाती है। प्रस्तुत प्रार्थना पत्र पर प्रार्थी/प्रार्थी अधिवक्ता को सुना गया।

प्रस्तुत बहस पर मनन किया गया तथा पत्रावली में उपलब्ध रेकार्ड का ध्यापपूर्वक अवलोकन किया गया। प्रकरण के अवलोकन से यह तथ्य है कि प्रार्थी स्वयं के खाते की खातेदारी कृषि भूमि की पत्थरगढी कराने का अधिकारी है। वैसे भी इस प्रकार के आदेश से अधिकार अभिलेख में किसी प्रकार के हेराफेरी होने का कोई अंदेशा नही है तथा न ही किसी प्रकार अधिकार/स्वत्व निर्धारित किये जाते हैं। अतः इन तथ्यों को देखते हुए नैसर्गिक न्याय के सिद्धान्त के आधार पर आवेदन प्रार्थी स्वीकार योग्य है।

---आदेश:--

प्रार्थी का प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाकर तहसीलदार हमीरगढ को आदेश दिये जाते हैं ग्राम आमलीगढ प.ह. आमलीगढ भू०अभि०नि० क्षेत्र मंगरोप तह० हमीरगढ जिला भीलवाडा में उसके खाते की खाता संख्या 294 की कृषि भूमि की आ०न० 706 रकबा 0.2655 है०, आ०न० 707 रकबा 0.2529 है०, आ०न० 708 रकबा 0.2529 है०, आ०न० 709 रकबा 0.2655 है०, आ०न० 710 रकबा 0.0885 है० कुल किता 05 कुल रकबा 1.1253 है० जिसकी पत्थरगढी राजस्थान लेण्ड रेकार्ड नियम 1956 के प्रावधानों में निर्धारित प्रक्रिया के अनुसार की जावे तथा नियमानुसार निर्धारित शुल्क 500/-रु० पक्षकार प्रार्थी राजकोष में जमा कराये, साथ ही कमिश्नर फीस 500/-रु० की नियमानुसार अदायगी प्रार्थी पक्षकार निर्धारित कमिश्नर को भुगतान करें।

आदेश आज दिनांक 28.03.2023 को खुले न्यायालय में सुनाया जाकर लिखा गया।

प्रकरण फ़ैसल शुमार होकर दाखिल दफ्तर रहे।



(अजीत सिंह राठौड)
उपखण्ड अधिकारी
हमीरगढ